परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ मे नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ मे नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लम्बाई 4.00 किमी0 कार्य की स्वीकृति शासना देश संख्या 3239/111(2)/16–58 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 लो0 नि0 अनुभाग–2 दिनांक 29.12.2016 के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू–भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम ल्वेशाल क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले तोको के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गॉवो से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गॉव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणो पर विचार किया गया है जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न मानचित्रो में अलग–अलग रंगो से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृति संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

<u>संरेखण नं0–1</u> जो लाल रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व निर्मित नथुवाखान सुयालबाडी मोटर मार्ग के किमी0 25 से छीमी नामक गॉव से मटेला हेते हुए भूमिया देव मंदिर तक बनाया जाना प्रस्तावित है। इस मोटर मार्ग के समरेखण में सिविल सोयम एन0ज्येड0ए0 भूमि एवं कास्तकारो की नाप भूमि प्रभावित होती है, इस समरेखण में एच0पी0 बैन्ड कम आते है तथा वृक्षों की संख्या भी काफी कम है। और मानको के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। तथा सभी ग्राम वासी इस समरेखण से सहमत है। जिसे बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। इसके अनुसार संरेखण में आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है। इस संमरेखण में प्रयुक्त अधिकांश भूमि कास्तकारों की नाप भूमि प्रभावित होती है। इस समरेंखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस संरेखण के अन्तर्गत वृक्ष एवं बैन्ड कम आते है। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है, इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

<u>संरेखण नं0–2</u> जो नीले रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व निर्मित सुयालबाडी नथुवाखान मोटर माग के किमी0 25 के अन्तिम बिन्दु से प्रस्तावित किया गया है। इस समरेखण में मोटर मार्ग के अत्यधिक बैंड आ रहे है, तथा रोड की लम्बाई भी अधिक हो रही है। जिससे बडे व्यास के विभिन्न प्रजाति के अत्यधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे है। तथा सडक का ग्रेड सही नहीं मिल पा रहा है। और पूर्व निर्मित मोटर मार्ग अत्यधिक क्षति होगी तथा ग्रामवासी इस समरेखण से सहमत नही है।

उपरोक्त दोनों समरेखणों का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, तथा उनके द्वारा संरेखण नं0–1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीक, पर्यावरणीय एवं भू गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित स्वीकृति समरेखण नं0–(1) के अन्तर्गत मार्ग के कुल 4.00कि0मी0 लम्बाई मे से शून्य मी0 लम्बाई मे आरक्षित वन भूमि, शून्य मी0 लम्बाई मे वन पंचायत भूमि, 1950 मी0 लम्बाई मे सिविल सोयम भूमि एवं 2050 मी0 लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होती है।

अतः 4.00 किमी0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (सिविल सोयम) लम्बाई 1950 मीटर तथा चौडाई 9.00 मीटर में प्रभावित होने वाली 1.755 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 97 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।